छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर प्रकाशन हेतु अनुमोदित

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1028 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता : फिलिप्स फ्रांसिस

बनाम

उत्तरवादीगण : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य_

_

आदेश दिनांक- 9 मार्च, 2010 को उद्घोषणा हेतु सुचिबद्ध

_

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1028 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता : फिलिप्स फ्रांसिस

बनाम

उत्तरवादीगण : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री, न्यायाधीश।

उपस्थित :- याचिकाकर्ता की ओर से : श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री विवेक रंजन तिवारी, अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक- 9 मार्च 2010 को दिया गया)

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कुरासिया कोलियरी द्वारा भेजे गए दिनांक 6-1-2009 (अनुलग्नक-पी/1) के पत्र को रद्द करने की मांग करता है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उसकी जन्मतिथि के सुधार के संबंध में दिनांक 21-2-2008 के उसके अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बारे में सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता यह भी प्रार्थना करता है कि उत्तरवादीगण को उसके सभी सेवा अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि को 4-2-1956 के रूप में सही करने का निर्देश दिया जाए और उसे सही जन्मतिथि यानी 4-2-1956 के आधार पर सेवा में जारी रखने की अनुमति दी जाए, न कि गलत जन्मतिथि यानी 18-2-1950 के आधार पर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रारंभ में 27-2-1977 को मज़दूर श्रेणी-1 के पद पर हुई थी (अनुलग्नक-पी/2)। सेवा पुस्तिका में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 18-2-1950 दर्ज है और याचिकाकर्ता के अनुसार उसे इसकी सूचना नहीं दी गई

है। हालाँकि, जन्मतिथि के गलत उल्लेख का पता चलने पर, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष दस्तावेजी प्रमाण, अर्थात् प्राथमिक विद्यालय प्रमाण पत्र और माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र के साथ कई आवेदन प्रस्तुत किए और संबंधित प्राधिकारियों से अपनी जन्मतिथि में सुधार का अनुरोध किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।यहां तक कि, वर्ष 1987 में सेवा पुस्तिका के सत्यापन के समय, याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा पुस्तिका में यह समर्थन किया था कि उसकी जन्मतिथि गलती से 18-2-1950 दर्ज की गई है, इसके स्थान पर सही जन्मतिथि अर्थात 4-2-1956 दर्ज की जाए। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 3-3-2000 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और संघ ने भी याचिकाकर्ता की ओर से 25-4-2008 और 21-9-2008 को अभ्यावेदन दिया। याचिकाकर्ता के आवेदन को संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के अनुलग्नक-1 के खंड (बी) (i) (ए) के अनुसार जन्मतिथि में सुधार के लिए प्राथमिक विद्यालय प्रमाण पत्र और मध्य विद्यालय अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र वैध दस्तावेज नहीं हैं और याचिकाकर्ता को 6-1-2009 (अनुलग्नक-पी/1) को इसकी सूचना दी गई। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गयी है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने निवेदन किया कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने बिना विवेक का प्रयोग किए याचिकाकर्ता के मामले को अवैधानिक और मनमाने तरीके से खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा में प्रवेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन किया था। श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि अपनी सही जन्मतिथि अर्थात 4-2-1956 के संबंध में अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता ने अपने प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। याचिकाकर्ता ने ढाई दशक से अधिक समय के बाद अपनी शिकायतें उठाई हैं। कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 की प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा बिना सोचे-समझे गलत व्याख्या की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी ने निवेदन किया कि एसईसीएल में नियुक्ति/सेवा में शामिल होने के समय, याचिकाकर्ता ने स्वयं सेवा पुस्तिका और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे रजिस्टर "बी", कोल माइंस पेंशन योजना फॉर्म, कोल माइंस प्रोविंड फंड फॉर्म, फॉर्म पीएस-3, पीएस-4 आदि में अपने हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त दस्तावेजों में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 18-2-1950 दर्ज की गई है, जिसे

(अनुलग्नक-आर/1, आर/2, आर/3 और आर/4) से देखा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अपनी नियुक्ति के समय अपनी जन्मतिथि के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और यहां तक कि उसने अपनी जन्मतिथि के संबंध में कोई आपत्ति भी नहीं उठाई है। हालांकि, तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी जन्मतिथि के संबंध में आपत्ति उठाई है।संबंधित प्राधिकारियों ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता के मामले को खारिज कर दिया और उसे इसकी सूचना दे दी गई है। प्राथमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र और मिडिल स्कूल में अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र, कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के अनुलग्नक-1 के खंड (बी) (आई) (ए) के अनुसार जन्मतिथि में सुधार के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वैध दस्तावेज हैं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बोर्ड का प्रतीक नहीं है और इसे स्कूल प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, दलीलों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। निस्संदेह, सेवा पुस्तिका और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 18-2-1950

दर्ज की गई है और यहां तक कि याचिकाकर्ता ने एसईसीएल में अपनी नियुक्ति/सेवा में शामिल होने के समय बिना कोई आपत्ति उठाए उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।

6. कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 का खंड (बी) (i) (ए) निम्नानुसार है:

"(बी) मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में जन्मतिथि के निर्धारण की समीक्षा।

(i) (ए) मौजूदा कर्मचारियों के मामले में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या शिक्षा बोर्ड और/या सार्वजनिक शिक्षण विभाग द्वारा जारी मिडिल पास प्रमाण पत्र और उपरोक्त निकायों द्वारा जारी प्रवेश पत्रों को सही माना जाएगा, बशर्ते कि वे रोजगार की तारीख से पहले उक्त विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संस्थानों द्वारा जारी किए गए हों।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. कार्यान्वयन अनुदेश संख्या 76 के खंड (बी) (i) (ए) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या शिक्षा बोर्ड और / या सार्वजनिक शिक्षण विभाग द्वारा जारी मिडिल पास प्रमाण पत्र और उपरोक्त निकायों द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड को जन्म तिथि की समीक्षा

निर्धारण के उद्देश्य के लिए सुसंगत दस्तावेज माना जाएगा। उक्त दस्तावेज रोजगार की तारीख से पहले जारी किए जाने चाहिए।

8. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने सहायक जिला स्कूल निरीक्षक द्वारा जारी एक प्राथमिक स्कूल प्रमाण पत्र और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिरमिरी द्वारा जारी पूर्व-मध्यमिक विद्यालय परीक्षा 1975 की मार्कशीट प्रस्तुत की है। आवश्यकता के अनुसार, मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या शिक्षा बोर्ड और / या लोक शिक्षण विभाग द्वारा जारी मिडिल पास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। सहायक जिला स्कूल निरीक्षक द्वारा जारी प्राथमिक स्कूल प्रमाण पत्र को भी शिक्षा बोर्ड और / या लोक शिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता की जन्मतिथि की पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. सेवा अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिनांक- 27-2-1977 को हुई थी एसईसीएल में नियुक्ति/सेवा में शामिल होने के समय, याचिकाकर्ता ने स्वयं सेवा पुस्तिका और अन्य सुसंगत दस्तावेजों जैसे रजिस्टर "बी" कोयला खदान पेंशन योजना फॉर्म, कोयला खदान

भविष्य निधि फॉर्म, फॉर्म पीएस-3, पीएस-4 आदि में अपने हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त दस्तावेजों में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 18-2-1950 दर्ज की गई है। जन्मतिथि की पुनर्विलोकन के लिए आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा 21-3-1980 को किया गया था, अर्थात तीन साल की अवधि के बाद। हालाँकि, उक्त आवेदन के समर्थन में, कार्यान्वयन निर्देश क्रमांक 76 में निर्धारित सुसंगत दस्तावेज दायर नहीं किए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम एस.सी. चड्ढा मामले 1' में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि "सामान्यतः, लोक सेवा में, सेवा में प्रवेश के साथ ही सेवा से बाहर निकलने की तिथि, जिसे सेवानिवृत्ति की तिथि कहा जाता है, भी निश्चित होती है। इसीलिए जन्म तिथि को संबंधित व्यक्ति से संबंधित रजिस्टर या सेवा-पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। यह प्रथा सभी सेवाओं में प्रचलित है, क्योंकि प्रत्येक सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित होती है, और सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि को बनाए रखना आवश्यक होता है।"

11. इसी प्रकार का मुद्दा बेनुधर प्रधान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले2' में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"जन्मतिथि में सुधार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सुसंगत मत यह है कि सरकारी अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों में सुधार, जिसके आधार पर सरकारी

1.(2004) एससीसी 394

2.डब्ल्यूपी संख्या 536/2004 (18-1-2010 को निर्णयित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्मचारी ने सेवा प्राप्त की है, को सेवानिवृत्ति से कुछ वर्ष पहले या सेवानिवृत्ति के अंतिम समय में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सर्वविदित है कि किसी कर्मचारी को अपने सेवाकाल के अंतिम समय में जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय को वास्तविक जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। (देखें <u>उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य बनाम राज कुमार अग्निहोत्री3'</u> एवं <u>कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम अर्धेन्दु विकास भट्टाचार्य एवं अन्य4'</u>)"

12.जन्मतिथि की समीक्षा पर कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड या लोक शिक्षण निदेशालय द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर अपना मामला स्थापित किया है। याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेखों में कोई परिवर्तन या हेरफेर या ओवरराइटिंग नहीं है, जो पूरे मामले में बनाए रखा गया है, इस मामले में कोई योग्यता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.परिणामस्वरूप, रिट याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

14. वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

3.(2005) 11 एससीसी 465

4. 2005 (12) एससीसी 201

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप हीअभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाएगी।

<u>Translated By MS MITA TANDIA ADV.</u>